



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

(Email: rlsajp@gmail.com Website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक : एफ-3(37)/रालसा/डी.एस.-II/पीएलवी/40984- दिनांक: 23/02/2018
प्रेषित : 4/08

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।


विषय:- पीएलवी एवं पैनल अधिवक्तागण के मानदेय व यात्रा व्यय के भुगतान बाबत।
प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 38502-38536 दिनांक 07.02.2018।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के उक्त प्रासंगिक पत्र के जरिये पैरा लीगल वॉलन्टियर्स व पैनल अधिवक्तागण के मानदेय एवं यात्रा व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि यात्रा व्यय का भुगतान उपरोक्त प्रासंगिक पत्र क्रमांक 38502-38536 दिनांक 07.02.2018 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाकर उक्त यात्रा व्यय के भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 8373-8474 दिनांक 02.07.2012 के बाद से ही लागू समझे जावें।

सादर।

भवदीय,


(एस.के.जेन)
सदस्य सचिव

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)